संख्या-72/2016/3668/60-2-16-2/3(6)/13

प्रेषक,

अरूण कुमार मिश्र
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 16 दिसम्बर, 2016

विषय : आई.एस.एस.एन.आई.पी. योजना के अन्तर्गत समुदाय परम्परागत गतिविधियों जैसे अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम हेतु अग्रिम आहरण हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1239/बा0वि0परि0/स्निप/2015-16, दिनांक 08.09.2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 85238 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर से 03 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु रूपये 06,39,28,500/- (रूपये छः करोड़ उनतालिस लाख अटठाइस हजार पांच सौ मात्र) के धनराशि की अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-32/2016/1546/60-2-16-2/3(6)/13, दिनांक 26.05.2016 तथा 03 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु रूपये 06,39,28,500/- (रूपये छः करोड़ उनतालिस लाख अटठाइस हजार पांच सौ मात्र) के धनराशि की अग्रिम आहरण करने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-39/2016/1902/60-2-16-2/3(6)/13, दिनांक 06.07.2016 द्वारा निर्गत की जा चुकी है।

2. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्निप योजना से आच्छादित प्रदेश के 41 जनपदों की 471 बाल विकास परियोजनाओं में संचालित 84618 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम कराये जाने हेतु संलग्नक के अनुसार प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र रूपये 250.00 की दर कुल 03 समुदाय आधारित गतिविधि कार्यक्रम कराये जाने हेतु 84618 आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु रूपये 06,34,63,500/- (रूपये छः करोड़ चौतीस लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि का अग्रिम आहरण करने एवं इस प्रयोजन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्त्री एवं मातृ समिति की अध्यक्षा के संयुक्त बैंक खाते में अग्रिम धनराशि आहरित कर ट्रांसफर किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त धनराशि का अग्रिम आहरण वित्त (लेखा), अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10.06.11 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

(2) धनराशि का अग्रिम आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा। अग्रिम आहरण के फलस्वरूप शासन को यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) धनराशि निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी धन को आहरित करेगा, वहीं उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(5) पिछले स्वीकृत किये गये समस्त अग्रिमों एवं अब तक स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(6) आंगनवाड़ी केन्द्र पर एक गतिविधि हेतु अग्रिम आहरण के उपरान्त दूसरा अग्रिम आहरित किया जायेगा।

(7) उपरोक्त बैंक खाते में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेखों के रख-रखाव, बैंक खाते से नियमित रूप से समाधान (रिकन्सीलिएशन) आडिट के सम्बन्ध में विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विस्तृत दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी किये जायेंगे तथा इसमें विभिन्न स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण कर दिया जायेगा।

(8) इस योजना के अन्तर्गत धन संचरण, लेखों के रख-रखाव, आडिट इत्यादि के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-आयोजनागत-97-वाह्य सहायतित योजनाएं-03-आई.एस.एस.एन.आई.पी. (सामाजिक जागरूकता) के मानक मद-42-अन्य व्यय" के नाम डाला जायेगा।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–एफ.ए.-1-462/दस-2016, दिनांक 13.12.2016 के द्वारा दी गयी सहमति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

<u>संख्या-72/2016/3668(1)/60-2-2016, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग/वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
7. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in